राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 445/2023

फारूख मोहम्मद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जरिये अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर (राज.) 302005
2. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जनपथ, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर (राज.) 302005
3. संयुक्त सचिव (Estt.I) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जनपथ, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर (राज.) 302005
4. वीरेन्द्र कुमार चौधरी, कार्यरत सहायक अभियंता, 400 के.वी. जीएसएस, चित्तौडगढ़, निवासी मकान नं. 62, शिव शक्ति मंदिर के पास, न्यू आकाशवाणी कॉलोनी, कोटा (राज.) 324001

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मुनेश भारद्वाज, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राहुल लोढा, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री रणजीत खींचड, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में AEN के पद पर AEN(765KV GSS) Anta में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से AEN(400KV GSS) चित्तौडगढ में किया गया है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 01.01.1964 है। उसकी सेवानिवृति दिनांक 31.01.2024 को नियत है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 11 माह का समय शेष है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी

अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रार्थना की है कि अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर जनहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने श्रीमती पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश का जो हवाला दिया है, अपीलार्थी का मामला उक्त मामले से भिन्न है। शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा भी स्थानान्तरण आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन AEN के पद पर AEN(765KV GSS) Anta में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा अन्ता, बारां से चित्तौडगढ़ स्थानान्तरित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2022 (अनुलग्नक–5) के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की जन्मतिथि 01.01.1964 है और उसकी जन्मतिथि के आधार पर अपीलार्थी दिनांक

31.12.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की मात्र 7 माह की सेवाएं शेष रही हैं, जबकि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 उक्त नियमों एवं विधि के विरूद्ध जारी होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नए सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन बारां जिले के अंदर करने के लिए स्वतंत्र है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2023 की पुष्टि कर प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य